कार्यालय संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक–2, तृतीय तल
इंद्रावती भवन, अटल नगर

क्रमांक – 47 / खाद्य–संचा / 2020 अटल नगर, दिनांक 21 / 04 / 2020

–: आदेश :–

राज्य में कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को माह जून 2020 के चावल का उपभोक्ता निर्गम मूल्य 01 रूपये प्रति किलो के स्थान पर निःशुल्क किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डो में माह अप्रैल से जून 2020 तक प्रतिमाह अतिरिक्त चावल आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा। सामान्य राशनकार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित निर्गम मूल्य अनुसार वितरण किया जाये।

2/ उपरोक्त संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रैल से जून 2020 तक अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डो को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की बेहतर मात्रा के समकक्ष होगी। सुलभ संदर्भ हेतु माह जून 2020 के नियमित चावल आबंटन के साथ 03 माह का अतिरिक्त **चावल का वितरण 1 मई 2020 से प्रारंभ** किया जाकर संलग्न प्रपत्र अनुसार किया जावेगा।

3/ उचित मूल्य दुकानों में वितरण के समय राशनकार्ड वार आबंटन की पात्रता की सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा सभी कार्डधारियों को उनकी पात्रता के बारे में अनिवार्य रूप से सूचित किया जाये।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
आयुक्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, अटल नगर

पृ. क्रमांक – 48 / खाद्य / 2020 अटल नगर, दिनांक 21 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, अटल नगर।
6. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
7. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, रायपुर।
8. समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, अटल नगर

JD Letter 2019

Scanned with CamScanner

माह जून 2020 हेतु खाद्यान्न वितरण

- कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल से जून 2020 तक 03 महीने मासिक आबंटन के साथ–साथ अतिरिक्त खाद्यान्न (पीएमजीकेएवाई) प्रदाय किया जा रहा है।
- माह जून 2020 में राशनकार्डधारियों को जून महीने के खाद्यान्न के साथ अप्रैल, मई एवं जून महीने के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण निम्नानुसार **1 मई 2020 से प्रारंभ किया जायेगा।**
- **अंत्योदय राशनकार्ड को जून महीने में चावल वितरण की मात्रा–**

राशनकार्ड	जून महीने का आबंटन	अप्रैल से जून 2020 तक अतिरिक्त चावल की मात्रा	जून महीने में कुल चावल वितरण की मात्रा	उपभोक्ता दर
01 सदस्य वाले कार्ड	35	15	50	निःशुल्क
02 सदस्य वाले कार्ड	35	30	65	
03 सदस्य वाले कार्ड	35	45	80	
04 सदस्य वाले कार्ड	35	60	95	
05 सदस्य वाले कार्ड	35	75	110	

एनएफएसए अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 03 माह की अतिरिक्त पात्रता 15 किलो प्रति सदस्य होगी (5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह)।

- **प्राथमिकता राशनकार्ड को जून महीने में चावल वितरण की मात्रा–**

राशनकार्ड	जून महीने का आबंटन	अप्रैल से जून 2020 तक अतिरिक्त चावल की मात्रा	जून महीने में कुल चावल वितरण की मात्रा	उपभोक्ता दर
01	10	-	10	निःशुल्क
02	20	-	20	
03	35	-	35	
04	35	15	50	
05	35	45	80	
06	42	54	96	

05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में 03 माह का अतिरिक्त आबंटन 09 किलो प्रति सदस्य होगा (3 किलो प्रति सदस्य प्रति माह)।

- अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशनकार्ड में जून महीने के नियमित मासिक आबंटन का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
- सामान्य राशनकार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित निर्गम मूल्य अनुसार वितरण किया जाये।

Scanned with CamScanner